दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

R 913-I-17

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

संजय श्रीवास्तव तनय श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव निवासी सिविल लाईन टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

पुनर्रीक्षणकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन

प्रति निगराकार

पुनर्रीक्षण प्रस्तुत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के अपील प्रकरण क्र. 21/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2017 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है :–

1. यह कि धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन निरस्त करने के कारण धारा 46 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत आदेश की अपील न होकर पुनरीक्षण किया जायेगा, जो श्रीमान् के समक्ष निम्न विधि बिन्दुओं पर सादर प्रस्तुत है।

2. यह कि पुनरीक्षणकर्ता तहसीलदार टीकमगढ़ के यहां से बसूली नोटिस दिनांक 16.06.2016 को दिया गया कि आप पर 48,000/– रूपये बकाया है, जो आपको जमा करना है, तब पुनरीक्षणकर्ता दिनांक 16.06.2016 को न्यायालय में उपस्थित होकर जानकारी की, तब पता चला कि पुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थी पर एकांगी रूप से तहसीलदार ने अतिक्रमण प्रकरण क्रमांक–48/अ–68/2012–13 में दिनांक 22.11.2012 को आदेश पारित कर दिया था और 48000/– रूपये की राशि अर्थदण्ड अधिरोपित कर दी थी, इस तरह दिनांक 22.11.2012 की जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी गई, जो भू–राजस्व संहिता 1959 के नियमों के विरूद्ध है और इस तरह 22.11.2012 से जानकारी दिनांक 16.05.2016 तक का समय सद्भावी बिलंब होंने से क्षमा योग्य है। अपील म्याद की गणना जिसमें एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, अथवा आदेश की जानकारी नहीं दी गई, उन्हें धारा 47 पर म.प्र. भू राजस्व संहिता में संरक्षण दिया गया है और जानकारी दिनांक से अपील म्याद की गणना का प्रावधान है। माननीय अपील न्यायालय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग. 913-एक/2017 **जिला-टीकमगढ़**

संजय श्रीवास्तव विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आई.पी. द्विवेदी उपस्थित । 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक- 21/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28-01-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-03-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस	

28/01/19

न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य